चक गंजरिया क्षेत्र लखनऊ में 10 एकड़ भूमि पर पी0पी0पी0 मोड पर सुपर स्पेशलिटी / कार्डियोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु डेवलपर के चयन हेतु तैयार किये गए आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 हेतु विस्तृत कोरिजेंडम

शासनादेश दिनांक 07.08.13 के संबंधित प्रस्तर	शासनादेश दिनांक 07.08.13 में वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1	2	3
प्रस्तर–1 (1)	प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्तमान में स्थित किसी भी चिकित्सा संस्थान में हृदय रोग की चिकित्सा हेतु आवश्यकता के अनुरूप सुपर स्पेशिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय को हृदय रोग से संबंधित सभी सुपर स्पेशिलिटी (कार्डीयोलॉजी/कार्डीयक सर्जरी/सी0टी0वी0एस0 आदि) तथा कैंसर को छोड़कर कम से कम एक अन्य मेजर सुपर स्पेशिलिटी में उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर आफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित निवेशकर्त्ता उल्लिखित विशेषज्ञताओं के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञताओं को (कैंसर के अतिरिक्त) भी राज्य सरकार की सहमति से शामिल कर सकेगा।	प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्तमान में स्थित किसी भी चिकित्सा संस्थान में हृदय रोग की चिकित्सा हेतु आवश्यकता के अनुरूप सुपर स्पेशिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय को हृदय रोग से संबंधित सभी सुपर स्पेशिलिटी (कार्डीयोलॉजी/ कार्डीयक सर्जरी/सी0टी0वी0एस0 आदि) हेतु तथा कैंसर को छोड़कर कम से कम एक या एक से अधिक अन्य मेजर सुपर स्पेशिलिटी में उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर आफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया जाएगा। मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सुपरस्पेशिलिटी में से कार्डियोलाजी एवं कार्डिएक सर्जरी के अतिरिक्त एक या एक से अधिक सुपरस्पेशिलिटी (कैन्सर को छोड़ कर) को चयनित करने का अधिकार निजी निवेशकर्ता को होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्डियोलाजी एवं कार्डिएक सर्जरी से संबंधित न्यूनतम बिस्तरों की बाध्यता 35 प्रतिशत होगी।
प्रस्तर–1 (3)	इस मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय द्वारा चिकित्सालय की क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत बिस्तर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवायें (सी0जी0एच0एस0) की दरों पर जनता को उपलब्ध कराए जाएंगें। शेष बिस्तरों की दर निवेशकर्ता स्वयं तय करने के लिए स्वतंत्र होगा। अस्पताल में भर्ती किये जाने वाले जो इन–पेशेन्ट (In-Patients) सी0जी0एच0एस0 की दरों वाले बिस्तरों पर भर्ती होंगे, उनको समस्त चिकित्सा/जांच/परामर्शी/अन्य सेवाएं भी सी0जी0एच0एस0 दरों पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। सी0जी0एच0एस0 दरों वाले बिस्तरों तथा निवेशकर्ता द्वारा तय की गयी उच्च दरों पर उपलब्ध बिस्तरों पर उपलब्ध सभी प्रकार की चिकित्सीय/परामर्शी/नर्सिंग/जॉच/साफ सफाई आदि सेवाओं का स्तर एक समान	प्रस्तर–1(3) के पूर्व प्राविधान के साथ ही साथ प्रस्तर–1(3) (ii) में निम्नलिखित नया प्राविधान सम्मिलित किया जायेगाः– सफल निजी निवेशकर्ता द्वारा निविदा में जितने प्रतिशत में बिस्तरों को सी0जी0एच0एस0 दरों के आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव दिया जायेगा, उसी प्रतिशत के आधार पर निजी निवेशकर्ता सभी सुपरस्पेशिलिटी में भी बिस्तरों को उपलब्ध कराये जाने हेतु बाध्य होगा तथा निजी निवेशकर्ता इसी प्रतिशत के आधार पर ओ0पी0डी0 एवं ओ0पी0डी0 संबंधित चिकित्सकीय जाँचों को सी0जी0एच0एस0 दरों पर उपलब्ध कराये जाने हेतु बाध्य होगा।

	होगा तथा इनमें कोई अन्तर अथवा विभेद नहीं किया जाएगा। सभी श्रेणियों के बिस्तरों/वार्ड हेतु न्यूनतम एन0ए0बी0एच0 तथा आई0पी0एच0एस0 के मानकों के अनुसार मैन पावर उपलब्ध कराई जाएगी। ऊँची दरों वाले बिस्तरों/वार्ड में अस्पताल प्रबन्धन द्वारा मूल्य सवंर्धित गैर चिकित्सकीय सेवाएं/सुविधाएं अतिरिक्त रूप में उपलब्ध कराई जा सकेंगी।	
प्रस्तर–1 (8) (**i**)	निवेशकर्ता को शासन द्वारा रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) के सांकेतिक मूल्य पर 30 वर्षों के लिये लीज पर अधिकतम 20 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त समय सीमा के उपरान्त राज्य सरकार तथा निवेशकर्ता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर पुनः अनुबन्ध करने का विकल्प उपलब्ध होगा।	निवेशकर्ता को शासन द्वारा रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) के सांकेतिक मूल्य पर 30 वर्षों के लिये लीज पर अधिकतम 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। रियायत अवधि (कन्सेशन पीरिएड) को प्रारम्भिक 30 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर रिव्यू समिति द्वारा संतोषजनक सेवा प्रमाणित करने के उपरान्त 10–10 वर्ष हेतु (अधिकतम कन्सेशन पीरिएड 50 वर्ष) तक विस्तारित किया जा सकता है। 50 वर्ष की रियायत अवधि के उपरान्त आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 के नियमों एवं शर्तों के अनुसार निवेशकर्ता द्वारा प्रस्तावित चिकित्सालय को प्रदेश सरकार को हस्तान्तरित किया जायेगा। सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय को 50 वर्ष के बाद चलाने की प्रक्रिया का सर्वाधिकार प्रदेश सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा की उस समय निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार निविदादाता पुनः निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धा में भाग ले जिसमें वर्तमान निविदादाता को पहले मना करने का अधिकार (राइट आफ फर्स्ट रेफ्युजल) दिया जायेगा।